

महावीर वगैरह बनाम राज0 सरकार
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)
 केस संख्या५.१.../2025 दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निवेद्याज्ञा
 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट 1955

आज्ञा विस्तृत रूप से

क. सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
--------	---------------------------

19/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वाली तथा प्रतिवादीगण की वकील व रिपोर्ट तत्सीलदार क ई-तनार की जाकर पत्रावली दिनांक 17/11/25 को पेश ले।

उपरखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राज.

17/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वाली उपस्थित नहीं। न्यायालय सभ में बार-बार डायज लगाने लगी। डायज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं। उक्त वकील वाली का दावा पत्र अदम लाजरी एवं अदम पैरवी में खासिज किताबत है। पत्रावली फौजदारी लेकर देखिल दफतर है।

उपरखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राज.